

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in
क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2022-23/ 8479
निमित्त,

संशोधित

दिनांक :- 8/9/22

अधिकापी अभियंता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड
जवाजा जिला अजमेर

विषय:-

Fluoride Control Project for Remaining Villages Beawar Total forest land diversion 7.0484 Hectare. FP/RJ/ WATER/33714/2018.

संदर्भ:-

कार्यालय अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्रांक 2291-92 दिनांक 04.07.2022, इस कार्यालय के पत्रांक 8042 दिनांक 26.08.2022 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्र संख्या 8बी/राज/08/20/2021/FC दिनांक 06.06.2022 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्र से विषयान्तर्गत प्रकरण में उच्च कार्यालय द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्र संख्या 8बी/राज/08/20/2021/FC दिनांक 06.06.2022 से प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की है। अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित सभी शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अलग-अलग चार प्रतियों में मय सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति भिजवावें एवं मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्र संख्या 8बी/राज/08/20/2021/FC दिनांक 06.06.2022 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 के अनुसार नवीन एन पी वी राशि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि	वि.वि.
A1	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works schedule for subsequent years. इस हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, व्यावर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार राशि 5245031/- एवं श्रमिक दर 252 से 259 होने से अंतर बढ़ोतरी(2.8 प्रतिशत) राशि 146891/- होगी। अतः कुल राशि 5391892/-	5391892/-	कुल राशि रु. 1,01,01,928/- को OSMFWCP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराई जावे।
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 7.0484 ha(Ajmer 4.6723ha.) forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard. 4.6723x 957780/- = 4475036	4475036/-	
3.	Point No 7 The Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer. 100Pillars x 2350/-=235000/-	235000/-	
	क्र.सं. 1 व 3 का योग राशि	10101928	

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) एवं सभी बिन्दुओं की पालना मय अण्डरटेकिंग प्रेषित की जाये। साथ ही प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति भी पालना के साथ चार प्रति में प्रस्तुत करे। तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

भवदीय,

(सुनील चिन्नी)

उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :-सम/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

उप वन संरक्षक
अजमेर

कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, राजसमंद

क्रमांक एफ उवसंवजी सर्वे FCA/15/2021/
निमित्त

8594

दिनांक : 25/8/22

अधिशायी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, परियोजना खण्ड जवाजा, जिला अजमेर
राशि मांग पत्र

1. प्रस्ताव का नाम व क्रमांक : Diversion of 7.0484 hectare Forest Land for fluoride Control for remaining Village of Tehsil Beawar 589 Villages district Ajmer in Favour of superintendent Engineer , Public Health Department, Project circle, Todarmal Marg, Jal Bhawan, Ajmer, Rajasthan (FP/RJ/Water/33714/2018)
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति का विवरण : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्रांक 8बी/राज0/08/20/2021/एफसी दिनांक 06.06.2022
3. वन्यजीव स्वीकृति का विवरण : Final approval by CWLW Office latter no. 7225 Dated 13-09-2019
4. प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि का विवरण (है0)

Category	Reserved Forest	Protected Forest	Unclassed Forest	Deemed Forest	Others	Total
Area (ha.)	1.8008	0.5753	-	-	-	2.3761

5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि का विवरण

Category	Non Forst Land	Degraded Forest Land	Total
Area (ha.)	-	वन्य जीव राजसमन्द वनमण्डल के लिए क्षतिपुरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक DFL वन भूमि अजमेर वनमण्डल में प्रस्तावित की गई है।	-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव में जारी स्वीकृति की पालना में निम्नानुसार वर्णित राशि जमा कराने की व्यवस्था करावे एवं बिन्दुवार पालना रिपोर्ट से अवगत करावे :-

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक	अधिरोपित शर्त विवरण (स्वीकृति में अंकित शर्त को लिखें)	मंग राशि का मद	क्षेत्रफल (है0)/ संख्या/ मात्रा	दर/गणना सूत्र	राशि	राशि जमा कराये जाने का मद/खाते का विवरण	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 7.0484 ha area to be diverted under this proposal from the user agency as per the	शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)	1.8008 WLS AREA & 0.5753 Ha PF.	1.8008 X 9,57,780 X 5 (5 times in WLS Areas)= 86,23,851 /- 0.5753x 9,57,780 =5,51,011/-	91,74,862 /.	CAMPA fund only through e-portal	

orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry latter No. 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06-01-2022 in this regard.			(Per Ha. Eco Class-III open forest)			
योग				91,74,862 /.		

10-25/08/22
(डॉ. प्र. एन. गुप्ता)
उप वन संरक्षक,
वन्य जीव राजसमन्द
दिनांक :

क्रमांक एफ उवसंवर्जी सर्वे FCA/15/2022 /

प्रतिलिपी निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है—

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राज. जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उदयपुर।
3. उप वन संरक्षक, अजमेर।

४०
उप वन संरक्षक,
वन्य जीव राजसमन्द